उत्तर प्रदेश शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–4
संख्या– 6491 / 77–4–2023–101(अपील) / 23
लखनऊः दिनांक 25 अक्टूबर, 2023

मैसर्स लवीश एजुकेशनल सर्विसेस प्रा0लि0 — पुनरीक्षणकर्ता
बनाम
ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण। — विपक्षीगण।

मैसर्स लवीश एजुकेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा उत्तर प्रदेश अर्बन प्लानिंग एण्ड डेवलपमेंट एक्ट–1973 की धारा–41(3) सपठित औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम–1976 की धारा–12 के अन्तर्गत पुरीक्षण याचिका प्राधिकरण के आदेश दिनांक 06.03.2023 के विरूद्ध योजित की गई है। प्राधिकरण के पत्र दिनांक 16.03.2006 के माध्यम से याची संस्था को भूखण्ड संख्या–21 / 1, सेक्टर–नालेज पार्क–।।।, ग्रेटर नोएडा आबंटित किया गया। कतिपय कारणों से उक्त भूखण्ड उपलब्ध न हो सका। पुनरीक्षण याचिका के माध्यम से पुनरीक्षणकर्ता को आबंटित भूखण्ड के स्थान पर अन्य रिक्त भूखण्ड आबंटित किये जाने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका के सम्बन्ध में दिनांक 18.09.2023 को सुनवाई की गयी। प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका में एवं सुनवाई के समय पुनरीक्षणकर्ता की ओर से निम्नवत् अभिकथन प्रस्तुत किए गएः–

2. प्राधिकरण ने अपने पत्र दिनांक 06.03.2023 द्वारा तथा सुनवाई के समय यह तथ्य प्रस्तुत किये कि आबंटी संस्था को आबंटित भूखण्ड संख्या–21 / 1, सेक्टर–नालेज पार्क–।।।, ग्रेटर नोएडा के ग्राम नामोली मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में भूमि अधिग्रहण के विरूद्ध योजित रिट याचिका संख्या–37038 / 2008 मैसर्स सुपर कैसेट्स इण्डस्ट्रीज बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य से प्रभावित होने व उक्त वाद में पारित आदेश दिनांक 23.12.2016 के दृष्टिगत लीज डीड / कब्जा दिया जाना सम्भव नहीं हो पाया। इसकी सूचना आबंटी संस्था को प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध करा दी गई थी तथा आबंटी संस्था को समान क्षेत्रफल के भूखण्ड की अनुपलब्धता के दृष्टिगत प्राधिकरण के आदेश दिनांक 06.03.2023 के माध्यम से पुनरीक्षणर्ता संस्था को जमा धनराशि वापस किये जाने का निर्णय लिया गया।

3. वर्णित स्थिति के कम में प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि प्राधिकरण के पास भूमि उपलब्ध नहीं हुआ, इसलिए कब्जा नहीं दे पाए हैं तथा वह इनके द्वारा जमा की गई धनराशि को वापस कर रहें है।

4. प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.03.2023 उचित है तथा इसमें किसी तरह के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

5. आबंटी द्वारा उत्तर प्रदेश अर्बन प्लानिंग एण्ड डेवलपमेंट एक्ट–1973 की

धारा–41(3) सपठित उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम–1976 की धारा–12 के अन्तर्गत दायर की गई रिवीजन याचिका को निरस्त करते हुये एतद्वारा निस्तारित किया जाता है।

मनोज कुमार सिंह
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त

संख्या 6491 (1) / 77–4–23 / 101(अपील) / 23, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण।
2. मैसर्स लवीश एजुकेशनल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड, सी–59ए, कालकाजी, नई दिल्ली–110019
3. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र कुमार)
अनुसचिव